न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 195/2022 निर्णय दिनांकः 16.07.2025

ऑनलाईन नम्बर 2022/258

चेतनराम पुत्र गोमन्दराम जाति बावरी निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. कूनणाराम पुत्र मालाराम 2. पूर्णाराम पुत्र मालाराम 3. शांतिदेवी पत्नी पूर्णाराम		जाति नायक निवासीगण आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. ओमप्रकाश 5. जगदीश 6. महावीर 7. रामप्रताप	पुत्रगण कूनणाराम	
8. सहीराम 9. राजेन्द्र 10. किशनाराम	पुत्रगण पूर्णाराम	

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रार्थी / ...
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. अप्रार्थी संख्या 4 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 4.1600 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान में स्थित है। प्रार्थी के खेत के उतरी तरफ सीवां जोड़ अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 408 तादादी 20.30 हैक्टेयर है वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 408 में से एक कटाणी रास्ता गांव आडसर से मोमासर की ओर जाता है। इस कटाणी रास्ते में से प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता सदामद से रहा है। अप्रार्थीगण के खेत में से जो कटाणी रास्ता जाता है वह रास्ता प्रार्थी के खेत से लगभग 50 मीटर दूर है तथा इस कटाणी रास्ते से फंटकर प्रार्थी के खेत में जो रास्ता है उसकी चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 50 मीटर है । यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है । यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी ... खेत में आवागमन करता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत के वर्णित रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 बंद करते रहते है, आने जाने से रोकते है। अप्रार्थी सं. 1 ता 10 ने वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है जिसको खुलवाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 ता 10 को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 रास्ते को खोल नहीं रहे है तथा बार बार रास्ते को अवरूद्ध करते रहते है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 404 का विद्यमान रास्ता जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 408 तादादी 20.300 हैक्टेयर में से आडसर से मोमासर जाने वाले कट्टाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 408 के बीच से चले आ रहे कटाणी मार्ग से प्रार्थी गांव आडसर से चलकर अप्रार्थी के खेत के चिपते ही स्थिति दक्षिणी तरफ अपने खेत खसरा नम्बर 404 में प्रवेश करता है । कटाणी मार्ग से फंटकर दक्षिणी तरफ रास्ता प्रार्थी के उतरी सींव तक जाता है, इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में प्रवेश करता है ज़िसकी लम्बाई करीब 50 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है । प्रार्थी के खेत के रास्ते को दर्शाते हुए नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें A से B कट्टाणी रास्ता व मार्क C से D प्रार्थी के खेत में प्रवेश का रास्ता दर्शाया गया है। यही रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता हैं जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का अन्य रास्ता नहीं है । वर्णित रास्ते से ही प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करते है। प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 408 तादादी 20.300 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान में से जाने वाले कट्टाणी रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है जिसकी लम्बाई करीब 50 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर है जिसको प्रार्थी शुरू से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी. एल. सी. रेट या ऐसे प्रतिकर के संदाय करने को तैयार है जो श्रीमान्जी द्वारा अवधारित किया जाये। वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है और यह प्रार्थी के खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। प्रार्थी खेत में पहुंचने के लिए वर्णित रास्ते के वैकल्पिक रास्ते के अभाव में है। प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही आडसर पुरोहितान में स्थित है। वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से खेत खसरा नम्बर 404 तादादी 4.1600 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान का रास्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 408 में से कटाणी रास्ते में से फंटकर अप्रार्थीगण के खेत के मध्य से होते हुए दक्षिणी तरफ प्रार्थी के खेत तक लगभग 50 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा कुल 250 वर्गमीटर (0.0250 हैक्टेयर) या बाद रिपोर्ट जितनी लम्बाई का रास्ता मौके पर पाया जावे उस रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 408 तादादी 20.300 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान में गैरमुमकिन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रास्ता (कट्टाणी) दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 11 को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 6 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 को बार–बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 4, 5, 8 ता 10 के नोटिस पिता पर तामिल होकर प्राप्त हुए है। अप्रार्थीगण संख्या 4, 5, 8 ता 10 को बार बार आवजे लगवाई गई परन्तु इनकी ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 18.01.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि ग्राम आडसर से मोमासर सड़क मार्ग आज से 50 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था जो अप्रार्थी संख्या 01 ता 3 के खेत मे से होते हुए नही जाता है ऐसा गांव मे सुना गया है कि आज से 60–70 वर्ष पूर्व आडसर से मोमासर का रास्ता वर्तमान सड़क मार्ग न होकर दुसरा था जो रेवन्यू रेकॉर्ड मे रास्ते का अंकन है । लेकिन मौका पर रास्ते का पिछले 50 सालो से उपयोग नही होने से रास्ते के अवशेष समाप्त हो चुके है, ग्राम आडसर के आम काश्तकार मोमासर की ओर स्थित खेतो मे आवागमन सड़क मार्ग से होते हुए करते है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत मे से प्रार्थी का कभी भी आवागमन नही रहा है। अप्रार्थी के खेत का आवागमन का मार्ग ग्राम आडसर से मोमासर की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर स्थित खेत खसरा नम्बर 392 मे से होते हुए है। लेकिन प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को परेशान करने के आश्य से श्रीमान् के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। सुविधा अनुसार रास्ते की मांग नही की जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 05.12.2025 अनुसार प्रार्थी के खेत के निकटतम यही कटानी रास्ता है और खसरा नम्बर 408 के दक्षिण पश्चिम कार्नर से खेत खसरा नंबर 404 की दूरी लगभग 100 मीटर है जो सबसे निकटतम है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

408 में से जा रहे कटानी रास्ते से खसरा नंबर 404 जहां से रास्ता चाहा गया है कि दूरी 144 मीटर नक्शे में एवं मौके पर 172 मीटर है होना अवगत करवाया गया है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 404 तादादी 4.16 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ में कोई वैकिल्पक रास्ता मौजूद नहीं है एवं खसरा नंबर 408 के दक्षिणी पश्चिमी कार्नर से खेत खसरा नंबर 404 की दूरी लगभग 100 मीटर है। जो सबसे निकटतम् है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 408 में से कटाणी रास्ते में से फंटकर अप्रार्थीगण के खेत के मध्य से होते हुए दक्षिणी तरफ रास्ते की मांग की गई है, जिसकी दूरी 144 मीटर नक्शे में एवं मौके पर 172 मीटर है जबकि प्रार्थी के खेत के निकटतम कटानी रास्ता से खसरा नम्बर 408 के दक्षिण पश्चिम कार्नर से खेत खसरा नंबर 404 की दूरी लगभग 100 मीटर है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता है। स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 30.11.2024 को भू. अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का आडसर ने संयुक्त मौका रिपोर्ट पेश की थी। उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 408 के दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर से खसरा नंबर 404 की दूरी लगभग 100 मीटर है लिखा गया था। लेकिन उक्त निकटतम दूरी दक्षिण–पश्चिमी कोने के बजाये दक्षिणी–पूर्वी कोने से है। जिसे नक्शे में सही दिखाया गया है। लेकिन मौका रिपोर्ट में सहवन से दक्षिणी–पश्चिमी कोना लिखा गया। जबकि उक्त कोना दक्षिणी–पूर्वी कोना है। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा सहवन से दिनांक 05.12.2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नं. 408 के दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर से खसरा नंबर 404 की दूरी लगभग 100 मीटर है लिखा गया है। लेकिन उक्त निकटतम दूरी दक्षिण–पश्चिमी कोने के बजाये दक्षिणी–पूर्वी कोने से है। जिसे नक्शे में सही दक्षिणी–पूर्वी कॉर्नर दिखाया जाकर रिपोर्ट के संलग्न पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 404 तादादी 4.16 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 408 तादादी 20.3000 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर पुरोहितान के कटानी रास्ता मे से दक्षिण –पूर्वी कार्नर (सींव) के सहारे–सहारे तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित किया गया है। जो रास्ता 100 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 500 वर्गमीटर (0.05 हैक्टेयर) है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 408 में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकिन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या के 1 ता 3 के खातेदारी खेत खसरा नंबर 408 में से 500 वर्गमीटर (0.05 हैक्टेयर) भूमि रास्ते में उपयोग मे ली जायेगी। जिसका डी.एल.सी. दर सिंचित 1072000/– प्रति हैक्टेयर हैक्टेयर से दुगनी प्रतिकर राशि 1,07,200/–रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को दिलाया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार उक्त प्रतिकर राशि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम निर्णय के 15 दिवस में प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 498 में से रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। नक्शा निर्णय का भाग होगा।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा खुले इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:10 IST
Reason: SelfAttested